कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023-24/ 9544-645 दिनांक : 19/02/2024
समस्त वनाधिकारीगण

विषय :- आई.एफ.एम.एस. 3.0 में विकसित एवं लागू नवीन प्रकियाओं के कियान्वयन के संबंध में।

सन्दर्भ :- शासन सचिव, वित्त (बजट) के परिपत्र कमांक एफ 5 (थ-75) डीटीए/आईएफएमएस 3.0/11 दिनांक 04.10.2023 एवं 9565-764 दिनांक 27.01.2024 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा आईएफएमएस 3.0 के अन्तर्गत कार्मिको के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई-भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रकियाओं का संचालन दिनांक 01.02.2024 से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके कम में उक्त प्रकियाओं के संबंध में ऑनलाईन प्रशिक्षण दिनांक 31.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 तक प्रतिदिन चार सत्रों में आहरण वितरण अधिकारियों हेतु आयोजित किये जा चुके है।

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा आईएफएमएस 3.0 के अन्तर्गत लागू की जा चुकी उक्त प्रकियाओं के संबंध में विभागों/कार्यालयो/आहरण वितरण अधिकारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकियाओं के संबंध में दिनांक 14.02.2024 से दिनांक 29.02.2024 तक (प्रत्येक कार्य दिवस को) सभी विभागों/कार्यालयो/आहरण वितरण अधिकारियों हेतु प्रातः 11.30 से एक ऑनलाईन 'व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र' आयोजित किया जा रहा है। जिसमें विभागों/कार्यालयो/आहरण वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों का भी समाधान किया जा सकेगा। इस हेतु लिंक संबंद्ध कोषधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। आईएफएमएस 3.0 के जिला स्तर पर कियान्वयन व Help desk issues **हेतु कोषाधिकारियों को नौडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।**

IA
कु.(क. सहायक)

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों की समयबद्ध अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावें एवं संबद्ध कोषालय से समन्वय स्थापित कर ऑनलाईन ' व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र' में भाग ले कर कठिनाईयों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023-24/ 9646-665 दिनांक : 19/02/2024
प्रतिलिपिः- निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
3. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौघोगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
6. नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 को भेजकर लेख है कि प्रगति से अवगत करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5692137

Document certified by NIDHI MEHTA
<dadowi9984@seosnapp.com>.

Digitally Signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date :19-02-2024 03:58:49

For website
IA
DCF(IT)
26/2/2024